संख्या–4/24/305/ई–1/तेरह–2024–1592339/2021

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2024

विषयः–प्रदेश में स्थापित नवीन आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त के 22 पद एवं आबकारी निरीक्षक के 15 पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

————————

महोदय,

प्रदेश में स्थापित नवीन आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त के 22 तथा आबकारी निरीक्षक के 15 पदों को सृजित किये जाने विषयक अपने पत्र संख्या–ए–74/चार–183/अधि./2021–22/पद सृजन दिनॉक 08.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 08.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्त के 192 पद एवं आबकारी निरीक्षक के 759 पद स्वीकृत हैं। अप्रैल 2017 से प्रदेश में 25 नवीन पेय/औद्योगिक आसवनियॉ स्थापित हुयी हैं। विगत वर्षों से नवसृजित आसवनियॉ आबकारी राजस्व में प्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रही हैं। जिसके दृष्टिगत इनमें पूर्णकालिक अधिकारियों की तैनाती नियंत्रण एवं राजस्व संरक्षण की दृष्टि से नितांत आवश्यक है तथा प्रष्नगत पद स्वीकृत हो जाने पर राजस्व में वृद्धि होगी।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में स्थापित नवीन आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त के 22 पद एवं आबकारी निरीक्षक के 15 नये पद सृजन किये जाने पर एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पूर्व में स्वीकृत एवं नव सृजित सहायक आबकारी आयुक्त एवं आबकारी निरीक्षक के पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

विवरण	सहायक आबकारी आयुक्त	आबकारी निरीक्षक
वर्तमान में कुल स्वीकृत पद	192	759
नवसृजित पद	22	15
कुल पद	**214**	**774**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्त एवं आबकारी निरीक्षक के पद पूर्व से विद्यमान हैं, इन पदों की सेवा शर्तें क्रमशः उ0प्र0 सहायक आबकारी आयुक्त सेवा नियमावली–1992 (यथासंशोधित) एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा नियमावली–1992 (यथासंशोधित) से नियन्त्रित होती है। वर्तमान में सृजित किये जा रहे पदों की सेवा शर्तें भी उक्त नियमावली के प्राविधानों एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों से नियन्त्रित होगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–E-9-494-X-2023-24, दिनांक 06.02.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दिव्य प्रकाश गिरि)
विशेष सचिव

संख्या–4/24/305 (1)/ई–1/तेरह–24–तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2– कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ ।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
5– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
6– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
7– गार्ड फाइल, आबकारी अनुभाग–1

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.upgov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।